(4)

न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-11/2021

प्रियरंजन प्रसाद वगैरह

बनाम्

कुशवाहा कान्त गुप्ता वगैरह

–: आदेश :–

06/04/21

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी प्रियरंजन प्रसाद व प्रवीण कुमार गुप्ता व प्रितम कुमार गुप्ता, तीनों के पिता–स्व0 अयोध्या प्रसाद गुप्ता, सा0– मेन रोड, लातेहार, पो0+थाना+जिला–लातेहार के द्वारा Bihar Tenants Holdings (Maintanence of Records) Act. 1973 की धारा–16 के तहत् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–01/2020–21 में दिनांक 25.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल खारिज पुनरीक्षण हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के कथन को सुना एवं वाद की सुनवाई हेतु अंगीकृत कर उतरवादीगण को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अंचल अधिकारी, लातेहार से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। न्यायालय से निर्गत नोटिस पर उतरवादीगण न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर समर्पित किया।

निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अंचल अधिकारी, लातेहार का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम–बानपुर के खाता नं0–21 पुराना सर्वे खतियान में मसोमात मुन्दरी कुंवर पति–स्व0 राम सहाय साहू के नाम से दर्ज है तथा खतियानी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार है:–

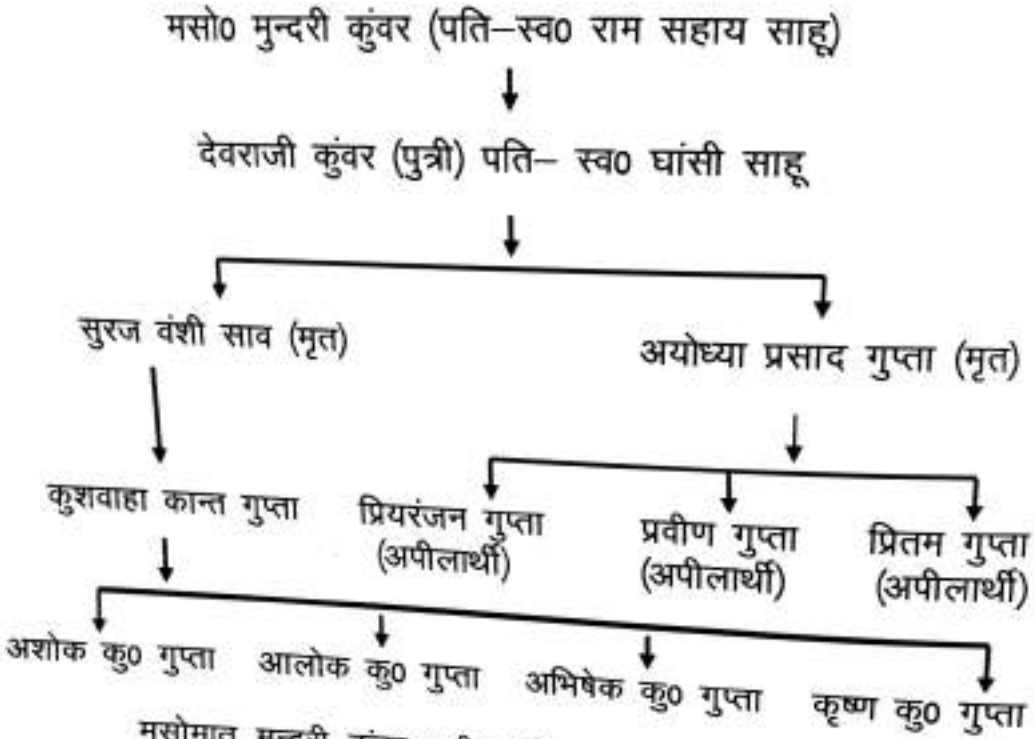

मसोमात मुन्दरी कुंवर अपीलार्थीगण एवं उत्तरवादीगण के पूर्वज थीं तथा उसने बजरिये निबंधित बकसीसनामा दिनांक 11.12.1931 को खाता नं0–21 एवं इस वाद से संबंधित जमीन को अपीलार्थीगण के बड़े चाचा सूर्यवंशी साव को लिखकर कब्जा–दखल दे दी तथा बकसीसनामा के समय अपीलार्थीगण के पिता अयोध्या प्रसाद गुप्ता का जन्म नहीं हुआ था तथा जन्म लेने के पश्चात् अयोध्या प्रसाद अपने बड़े भाई सूर्यवंशी साव के साथ खाता नं0–21 के संपूर्ण जमीन पर सम्मिलात कब्जा दखल में चले आ रहे थे तथा दोनों भाई आधे–आधे के हकदार हैं। उतरवादी कुशवाहा कान्त गुप्ता ने बजरिये निबंधित बकसीस नामा दिनांक 06.08.1994 को अपने चारो पुत्रों के नाम से खाता नं0–21 की जमीन को गलत तरीके से हस्तांतरण कर दिया। अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–627/2016–17 के द्वारा बिना न्याय एवं तथ्य पर विचार किये बिना आदेश पारित कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय द्वारा भी सही तथ्यों पर विचार किये बिना आवेदकगण के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–05/2017–18 को अस्वीकृत कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में दाखिल–खारिज रिविजन वाद संख्या–02/2018 दायर किया गया था, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2020 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को पुनः सुनवाई हेतु वापस भेजा गया। तत्पश्चात् अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप

समाहर्त्ता के न्यायालय में पुनः दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–01/2020–21 दायर किया गया जिसे दिनांक 25.02.2021 को तथ्य एवं कानून पर विचार किये बिना वाद को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह वाद दायर किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय द्वारा न्यायसंगत एवं तथ्य विहिन पारित आदेश को रद्द किया जाय।

उतरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील आवेदन कानूनी तथ्यों के विपरीत है। पूर्व में नामान्तरण वाद संख्या–627/2016–17 में अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 26.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–05/2017–18 दायर किया गया। न्यायालय के निर्देश के बावजूद अपीलार्थीगण के द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपील को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थीगण नें तथ्य को छिपाकर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के आदेश दिनांक 10.02.2018 के विरूद्ध म्यूटेशन रिविजन वाद संख्या–02/2018 को उपायुक्त, लातेहार के न्यायालय में दायर किया, जिसमें दिनांक 12.03.2020 को निचली अदालत में अपील दायर करने का निदेश दिया गया। इसके पश्चात् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में अपील वाद संख्या–01/2020–21 दायर किया गया, जिसमें सभी कानून और तथ्यों पर विचार करने के बाद अपील वाद संख्या–01/2020–21 को खारिज कर दिया गया। दाखिल खारिज वाद संख्या–627/2016–17 में अंचल अधिकारी, लातेहार का पारित आदेश, दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–05/2017–18 एवं म्यूटेशन अपील वाद संख्या–01/2020–21 में पारित आदेश न्यायासंगत है। पुनरीक्षणाधीन भूमि पर अपीलार्थीगण का कोई अधिकार, स्वत्व, हित एवं कब्जा नहीं है, इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। खाता नं0–21 के खतियानी रैयत मसो0 मुन्दरी कुंवर उतरार्थी संख्या–01 के पिता– सूर्यवंशी साव को बचपन से ही घर पर दुकानदारी खेती–बारी एवं भरण पोषण एवं देखभाल करने हेतु अपने साथ रखी थी तथा सेवा एवं देखभाल से खुश होकर मसो0 मुन्दरी कुंवर ने दिनांक 11.12.1931 को पंजीकृत विलेख से सुर्यवंशी साव को हस्तांतरित कर कब्जा दखल दे दिया। उसी तिथि से सूर्यवंशी साव कब्जा–दखल में चले आ रहे थे और उनके नाम से दाखिल–खारीज स्वीकृत होकर डिमाण्ड चल रहा

था। सूर्यवंशी साव एक मात्र उपहार संपत्ती का मालीक था और अपनी मृत्यु तक अपने अधिकार, दखल कब्जा में थे, उनकी मृत्यु के पश्चात् उनका एक मात्र पुत्र कुशवाहाकान्त गुप्ता कब्जा–दखल में आये। तत्पश्चात् कुशवाहाकान्त गुप्ता ने दिनांक 06.08.1994 को निबंधित Gift Deed से अन्य भूमियों के अलावा पुनरीक्षणाधीन खाता नं0–21 के सम्पूर्ण भूमि को अपने चारो पुत्र अशोक कुमार गुप्ता, आलोक कुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार गुप्ता एवं कृष्ण कुमार गुप्ता को हस्तांतरित कर दखल–कब्जा दे दिये तथा उतरवादीगण के नामान्तरण हेतु आवेदन पर दाखिल खारिज वाद संख्या–627/2016–17 प्रारम्भ किया गया तथा अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा पूर्ण छानबीन के पश्चात् अपने आदेश दिनांक 26.11.2016 को उतरवादीगण के नाम से नामान्तरण आवेदन स्वीकृत किया गया। अपीलार्थीगण एवं उनके पिता का उक्त भूमि पर कोई अधिकार, हक और हित नहीं है और वे कभी भी दखल–कब्जा में नहीं रहे।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक 666 दिनांक 31.12.2021 से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–बानपुर के खाता नं0–21 के सर्वे खतियानी रैयत मसो0 मुन्दरी पति–रामसहाय साह के नाम से दर्ज है। मौजा–बानपुर के होल्डिंग नं0–947 पर अशोक कुमार गुप्ता वो आलोक कुमार गुप्ता वो अभिषेक कुमार गुप्ता वो कृष्णा कुमार गुप्ता, पिता– कुशवाहा कान्त गुप्ता वो वृन्दा देवी पति– कुशवाहा कान्त गुप्ता के नाम से खाता नं0–21, प्लॉट संख्या–41, 44, 45, 154, 389, 395, 397, 358, 400, 404, 405, 409 रकबा क्रमशः 0.15, 0.04, 0.31, 0.82, 0.27, 0.63, 0.71, 0.20, 0.56, 0.07, 1.24, 0.13 कुल रकबा–5.18$^{1}/_{2}$ एकड़ का मांग दाखिल खारिज केश नं0–627/16–17 के आदेशानुसार कायम है। उक्त भूमि कुशवाहा कान्त गुप्ता वल्द सूर्यवंशी साहु द्वारा बख्शीस की गयी है। स्थलीय जांच से पाया कि मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूमि पर पक्का मकान निर्माण का कार्य किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या– 01/2020–21 के द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया गया है।

मसो0 मुन्दरी कुंवर द्वारा सुर्यवंशी साव को उपहार विलेख के माध्यम से भूमि दिया गया है। उस समय अपीलार्थीगण के पिता–अयोध्या प्रसाद गुप्ता का जन्म नहीं हुआ था। अपीलार्थीगण और उतरवादीगण का पैतृक भूमि नहीं है। अपीलार्थीगण ने सिविल जज सिनियर डिविजन, लातेहार के न्यायालय में

वाद संख्या–19/2022 दायर किया है, जिसमें बानपुर के खाता संख्या–21 एवं ग्राम–राजहार के खाता संख्या–22 तथा ग्राम–लातेहार के खाता संख्या–117 की भूमि पर कब्जा और आधे हिस्से का अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी एक ही मुद्दे पर दो अलग–अलग फोरम पर वाद चला रहे हैं। चूंकी यह स्वत्व से संबंधित मामला प्रतीत होता है, जिसके लिए सिविल कोर्ट सक्षम न्यायालय है एवं अपीलार्थी के द्वारा वाद संख्या–19/2022 के माध्यम से सिविल कोर्ट, लातेहार में आवेदन किया जा चुका है, इसलिए इस न्यायालय में यह वाद चलाना न्यायोचित नहीं है।

अतः अपीलार्थीगण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 16:44:51 +05:30
Location: 10.93.47.5